

UN-FEEDING WORLD BANK

INTER-STATE BANK FOR WELFARE & DEVELOPMENT PROJECTS

CORPORATE OFFICE--DEVELOPMENT BUILDING,IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA,

Mb-9473673785 / 6394066173 / E-mail-info@unfeedingworldbank.com,

पत्रांक:एस.जी.एस.वाई. / 2025-26 / प्रसार

दिनांक:-11.08.2025

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना द्वारा, सभी जरूरतमंद लोगों को, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रु0 एवं किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के, कैश सहायता के रूप में, उपलब्ध कराने के लिये, आत्मनिर्भर भारत के सबसे बड़े अभियान को प्रचारित करने के लिये, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपको निम्नलिखित अवगत कराना है कि-

1-अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक एक अन्तराज्यीय परियोजना है, जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को, सीएसआर वेलफेयर फन्ड से, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक-जीरो डिपोजिट आरडी-एकाउन्ट के द्वारा, उनके सभी चिकित्सा, शिक्षा, निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों का पूरा पैसा तथा छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रु0, एवं किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के, कैश सहायता के रूप में दुनिया में पहली बार बिल्कुल फ्री, उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये, सभी कार्य केवल, अन्तराज्यीय फन्डिंग एजेंसी, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना द्वारा किये जायेंगे।

2-भारत सरकार के, आत्मनिर्भर-भारत अभियान के अन्तर्गत, सभी जरूरतमंद लोगों के लिए, अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना का, केन्द्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विकास भवन लखनऊ के सभागार में शासन, प्रशासन, मीडिया एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर भव्य शुभारम्भ किया गया था, तथा जिला प्रशासन द्वारा पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, तथा दिनांक-20.04.2025 को, होटल ताज, गोमती नगर, लखनऊ, में राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा अनफीडिंग वर्ल्ड-बैंक परियोजना का शुभारम्भ किया गया है, कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट संलग्न है।


3-उपरोक्त, अनफीडिंग वर्ल्ड-बैंक परियोजना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं महिलाओं के सहायताार्थ उनको, सीएसआर वेलफेयर फन्ड से, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रु0 एवं किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के, कैश सहायता के रूप में, उपलब्ध कराने के लिये विशेष रूप से संचालित की जा रही है। तथा किसी भी लाभार्थी से कोई भी अग्रिम राशी अथवा कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए परियोजना की स्कीमों के सम्बन्ध में किसी भी दावों एवं किसी भी दुष्प्रचार अथवा कानूनी कार्यवाही को, पूर्णतया गैरकानूनी माना जायेगा, तथा कोई भी विवाद होने पर, परियोजना का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

चयनित लाभार्थियों को, छोटे घरों के लिये 2.40 लाख रु0 एवं बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने एवं उसकी रिकवरी के लिए, अनफीडिंग वर्ल्ड-बैंक परियोजना के प्रबन्धन के लिए, प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में, आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं लोन आफिसरों की नियुक्तियाँ, नियमानुसार, अनुबन्ध के आधार पर की जा रही है। प्रत्येक लोन आफिसर द्वारा, 250 लाभार्थियों का चयन एवं उनके एकाउन्ट खोलने पर 22 हजार रु0 प्रतिमाह मानदेय का भुगतान अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। समस्त आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ, अपने विकास खण्डों के मीटिंग हालों एवं कार्यालयों का उपयोग, अधिकृत किये जाने पर कर सकेंगे।

4-अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं मॉनीटरिंग, तथा समस्त फील्ड मार्केटिंग एवं प्रचार-प्रसार का प्रबन्धन, परियोजना द्वारा, अनुबन्ध के आधार पर, नियुक्त किये गये, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के एसोसियेशन,द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त के कार्यों का,कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। महोदय, शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्तियों स्थायी रूप से एक साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।

5-महोदय,आपसे अनुरोध है कि,उपरोक्त अनफीडिंग वर्ल्ड-बैंक परियोजना,के अधिकृत अधिकारियों को,समस्त विकासखण्ड कार्यालयों में, प्रचार कैम्प के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने तथा आवश्यक सहयोग करने के निर्देश, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को देने का कष्ट करें।

भवदीय


(आर.के.निगम)
निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आदरणीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 3-पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 4-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
- 5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त खण्ड विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त सांसद एवं विधायक, उत्तर प्रदेश।
- 9-समस्त विदेशी दूतावास,नयी दिल्ली, भारत।
- 10-समस्त प्रिंट एवं चैनल मीडिया को फालोअप हेतु।


(आर.के.निगम)
निदेशक